

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 7-2/2011/1-3
प्रति,

रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर, 2011

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल छत्तीसगढ़, बिलासपुर,
समस्त संभागीय आयुक्त, सूचना आयोग
समस्त विभागाध्यक्ष, क्रमांक 11228
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़ ।

07 OCT 2011

विषय:- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में की जाने वाली
कार्यवाही के संबंध में विधिक मत ।
संदर्भ:- इस विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 7-6/2009/1-3, दि0 09.10.2009

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका प्रकरण W.P. (s) क्रमांक 2859/2011 मुकेश प्रधान एवं अन्य विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य में दिनांक 25.5.2011 को यह आदेश पारित किया गया है कि वादी सक्षम अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करे । जिसका निराकरण उक्त अधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा में विधि अनुसार किया जाए ।

3/ याचिका प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्तानुसार पारित आदेश के संदर्भ में आगामी कार्यवाई किस प्रकार से की जानी चाहिए, इस संबंध में श्री यशवंत सिंह ठाकुर, उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ ने इस विभाग को उनका विधिक मत प्रेषित किया है, जो निम्नानुसार है:-

“अगर वादी सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करता है तो उक्त अधिकारी पूर्ण विचारोपरांत केवल नियमों / शासकीय निर्देशों के अनुसार ही प्रकरण निराकृत करे तथा पूर्ण / सकारण आदेश पारित करें । सक्षम अधिकारी अपने आदेश में संबंधित नियम तथा निर्देश की भी चर्चा करे ।

मान. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अर्थ यह कतई नहीं है कि आवेदनकर्ता की प्रार्थना/मांग को बिना विचार किये नियम विरुद्ध

letter

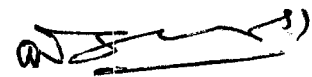
स्वीकार किया जाये । आवेदन का निराकरण केवल विधि अनुसार करें । अगर आवेदनकर्ता नियमानुसार पात्र नहीं है तो अभ्यावेदन सकारण निरस्त कर सकते हैं । अभ्यावेदन निरस्त करने से माननीय न्यायालय की अवमानना नहीं होती । पारित आदेश की सूचना अपने उच्च अधिकारी एवं महाधिवक्ता कार्यालय को भी देवें । मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा का ध्यान रखें ताकि अवमानना की स्थिति निर्मित न हो ।

आदेश पारित करने से पहले अधिकारी आवेदनकर्ता से माननीय उच्च न्यायालय में पेश किये गये प्रकरण की प्रतिलिपि तथा अन्य दस्तावेजों की मांग कर सकता है । आवश्यकता होने पर आवेदनकर्ता को सुनवाई का अवसर भी दिया जाना चाहिये ।

यदि अभ्यावेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता तो अभ्यावेदन इस टीप के साथ तत्काल वापस कर दिया जाये कि अभ्यावेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें ।”

3/ उप महाधिवक्ता महोदय ने उनके पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि इस प्रकार के प्रकरणों में सक्षम अधिकारी अपात्र आवेदकों के पक्ष में बिना विचार किये नियम विरुद्ध आदेश पारित कर रहे हैं । ऐसे आदेश का उपयोग अन्य अपात्र व्यक्ति मान० उच्च न्यायालय में यह कहते हुये करते हैं कि, अन्य व्यक्तियों को शासन द्वारा दिया गया लाभ उन्हें भी दिलाया जाये । ऐसे प्रकरणों की संख्या बढ़ती जा रही है जो कि अत्यंत चिंता का विषय है ।

4/ अतः निर्देशानुसार निवेदन है कि मा० उच्च न्यायालय द्वारा अन्य प्रकरणों में इस प्रकार आदेश पारित किए जाने पर उसके अनुपालन में कार्यवाही करते समय सक्षम अधिकारी कृपया उप महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ द्वारा दिये गये उपरोक्त विधिक अभिमत अनुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें । कृपया इन निर्देशों से अधीनस्थ कार्यालयों को भी अवगत कराएं ।



(के०आर० मिश्रा)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 7-2 / 2011/1-3

रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर, 2011

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,

01. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर ।
02. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
03. सचिव, विधानसभा सचिवालय, जीरो पाईट, रायपुर ।
04. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
05. रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर ।
06. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर ।
07. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर ।
08. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर ।
09. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानव अधिकार आयोग/ लोक आयोग/ सूचना आयोग रायपुर ।
10. संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
11. मुख्य सचिव के स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय रायपुर ।
12. विशेष सहायक/निज सहायक, समस्त मा0 मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण छत्तीसगढ़ रायपुर ।
13. संचालक, शासकीय मुद्रणालय राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ ।
14. अनुभाग अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (समस्त कक्ष) मंत्रालय-रायपुर ।
15. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) मंत्रालय की ओर सामान्य प्रशासन विभाग, की वेबसाईट <http://cg.nic.in/gad> में अपलोड करने हेतु ।

(एल0डी0 चौपड़)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

2

①

**OFFICE OF THE ADVOCATE GENERAL,
CHHATTISGARH, BILASPUR**

Phone : 07752-241303

Fax : 07752-241302

E-mail:

agcghc@cg.nic.in



HIGH COURT

CAMPUS

BILASPUR - 495 001

CHHATTISGARH

R.

Smt Sangita

18.8.11

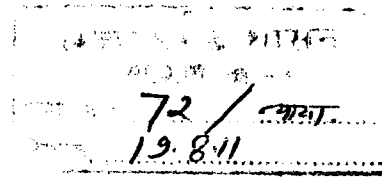
क. महा/छ.ग./बिलासपुर/2011/10395-

दिनांक - 12/07/2011

प्रति,

11.8.

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
डी.के.एस. भवन, मंत्रालय,
रायपुर (छ.ग.)



विषय: WP (S) No. 2859/2011- मुकेश प्रधान एवं अन्य विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य

संदर्भ : आदेश दिनांक 25/05/2011

संलग्न आदेश दिनांक 25/05/2011 का अवलोकन करें।

विषयांकित प्रकरण को निराकृत करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किया गया है कि वादी सक्षम अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। जिसका निराकरण उक्त अधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा में विधि अनुसार किया जाये।

इस प्रकरण में मेरा विधिक मत है कि अगर वादी सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करता है तो उक्त अधिकारी के द्वारा पूर्ण विचारोपरांत केवल नियमों / शासकीय निर्देशों के अनुसार ही निराकृत करे तथा पूर्ण / सकारण आदेश पारित करे। सक्षम अधिकारी अपने आदेश में संबंधित नियम तथा निर्देश की भी चर्चा करे।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अर्थ यह कतई नहीं है कि आवेदनकर्ता की प्रार्थना / मांग को बिना विचार किये, नियम विरुद्ध स्वीकार किया जाये। आवेदन का निराकरण केवल विधि अनुसार करे। अगर आवेदनकर्ता नियमानुसार पात्र नहीं है तो आप अभ्यावेदन सकारण निरस्त कर सकते हैं। अभ्यावेदन निरस्त करने से माननीय न्यायालय की अवमानना नहीं होती। पारित आदेश की सूचना अपने उच्च अधिकारी एवं महाधिवक्ता कार्यालय को भी देवें। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा का ध्यान रखें ताकि अवमानना की स्थिति निर्मित न हो।

Kashyap, PA

**OFFICE OF THE ADVOCATE GENERAL,
CHHATTISGARH, BILASPUR**

Phone : 07752-241303

Fax : 07752-241302

E-mail:

agcghe@cg.nic.in



HIGH COURT

CAMPUS

BILASPUR - 495 001

CHHATTISGARH

आदेश पारित करने से पहले अधिकारी आवेदनकर्ता से माननीय उच्च न्यायालय में पेश किये गये प्रकरण की प्रतिलिपि तथा अन्य दस्तावेजों की मांग कर सकता है। आवश्यकता होने पर आवेदनकर्ता को सुनवाई का अवसर भी दिया जाना चाहिये।

यदि अभ्यावेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता तो अभ्यावेदन इस टीप के साथ तत्काल वापस कर दिया जाये कि अभ्यावेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें।

ऐसे बहुत से प्रकरण सामने आ रहे हैं जिसमें सक्षम अधिकारी अपात्र आवेदकों के पक्ष में बिना विचार किये नियम विरुद्ध आदेश पारित कर रहे हैं ऐसे आदेश का उपयोग अन्य अपात्र व्यक्ति माननीय उच्च न्यायालय में यह कहते हुये करते हैं कि अन्य व्यक्तियों को शासन द्वारा दिया गया लाभ उन्हें भी दिलाया जाये। ऐसे प्रकरणों की संख्या बढ़ती जा रही है जो कि अत्यंत चिंता का विषय है अतः आप अभ्यावेदन का निराकरण नियमानुसार करें।

संलग्न : आदेश की प्रतिलिपि।

(यशवंत सिंह ठाकुर)

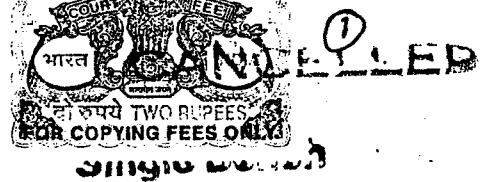
उप महाधिवक्ता

मो. नं. 94252-28352

प्रतिलिपि : 1. जिला शिक्षा अधिकारी, महासमुंद (छ.ग.)

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सरायपाली, जिला महासमुंद (छ.ग.)

Exp. No. - 20064/11
Ref.



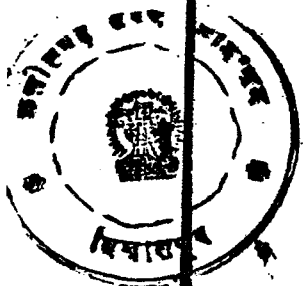
IN THE HIGH COURT OF CHHATTISGARH AT BILASPU

WRIT PETITION (S) NO. 2859/2011

PETITIONERS

1. Mukesh Pradhan Son of Late Chandrabhan Pradhan , aged about 35 years, At present working as a Shiksha Karmi Grade-III, Govt. Primary School, Kokdi Sankul Kendra-Balsi, Saraipali R/o. Saraipali, Tahsil Saraipali, District Mahasmund (C.G.),
2. Smt. Narmada Yadav wd/o late Girish Kumar Yadav, aged about 41 years, At present working as a Shiksha Karmi Grade-III, Govt. Primary School, Balsi Sankul Kendra Balsi, Tahsil Saraipali, R/o. C/o Ramlal yadav Shukulpara Kharod Post Kharod Dist. Janjgir Chamapa (C.G.),
3. Kumari Silviya Bagh D/o Shri Praffullo Bagh Working as Shiksha karmi Garde-III, Govet Primari School Balsi Sankul Kendra Balsi Saraipali, R/o Smt. Mridula Bagh Mahalpara- Virendra Nagar Post-Saraipali Dist. Mahasmund (C.G.)
4. Rajesh Nayak, Son of Late Chaturbhu Nayak, aged about 35 years, At present working as a Shiksha Karmi

3/03/11
P.D. No. ...
Presented by Shri. P.S. Patil
dated 23-5-11

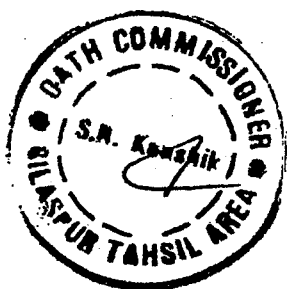




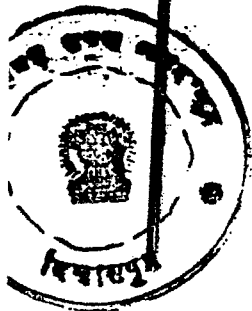
(2)

Kisadi Sankul Kendra Kisadi Block &
Tahsil Saraipali, R/o. Village Siraboda
Post Baloda tahsil Saraipali Dist.
Manasmund (C.G.),

5. Dinesh Pradhan S/o late Dibayakishor
Pradhan aged about 35 years, At
present working as a Shiksha Karmi
Grade-III, Govt. Primary School,
Develabhata Post Kisli, R/o. Village
Kundapali Post. Toresingha Saraipali
Dist. Mahasmund (C.G.),
6. Arun Kumar Raj S/o late Budhram Oti
(Raj) aged about 40 years, At present
working as a Shiksha Karmi Grade-
III, Govt. Primary School, Khaimal
Post. KIsadi, R/o. Village Joganipali
Post & Tahsil Saraipali, Dist.
Mahasmund (C.G.),
7. Mohan Lal Patel S/o Late Jagdish
Prasad Patel, aged about 35 years, At
present working as a Shiksha Karmi
Grade-III, Govt. Primary School,
Kejunwa Block Saraipali, Tahsil
Saraipali Dist. Mahasmund (C.G.),



VERSUS



2. The Secretary, School Education
Department, Mantralaya, D.K.S.
Bhawan, Raipur (C.G.).
3. Collector, District Mahasmund (C.G.).
4. District Education Officer,
Mahasmund, Dist. Mahasmund (C.G.).
5. Chief Executive Officer, Janpad
Panchayat, Saraipali, District -
Mahasmund (C.G.).

WRIT PETITION UNDER ARTICLE 226 OF THE
COUNSTITUTION OF INDIA.

The petitioner above-named most respectfully submit as under:-

SIGNATURES OF THE PETITIONERS:



उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

आदेश पत्रक

मामल॥ क्रमांक W.P.(J) 2859/2011 सन् 200

विरुद्ध

आदेश का दिनांक आदेश क्रमांक सहित	आदेश हस्ताक्षर सहित	कार्यालयीन मामलों में डिप्टी रजिस्ट्रार के अन्तिम आदेश
	SB : Hon'ble Shri Manindra Mohan Shrivastava, J. 25-05-2011 Shri R.S.Patel, counsel for the petitioners. Shri Yashwant Singh Thakur, Dy. Advocate General for the State/ respondents No. 1,2, 3 and 4 on advance copy. Heard. The petitioners have filed this petition on the ground that they are the wards of Assistant Teacher who died while in service. They moved an application for compassionate appointment and they have been given appointment on the post of Shiksha Karmi Grade- III. The petitioners submitted that they are entitled to be appointed as Assistant Teachers according to the policy. Learned State counsel submitted that for the present, the petitioners may be given an opportunity of filing the detailed representation before the competent respondent authority, which may be considered on its own merits, in accordance with law. Having considered and without expressing any opinion on the merits of the case, in the opinion of this Court, ends of justice will be served, if a direction is given to the petitioners to make a detailed representation raising their grievances before the competent respondent authority along with a copy of the petition and this order, within six weeks from today, and on such representation being filed, the competent respondent authority shall decide the same on its own merits in accordance with law as early as possible preferably within a period of four months from the date of receipt of the representation. If any grievance	

XI-HC-22

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

आदेश पत्रक

W.P. (S) 2859/2011
मामला क्रमांक सन् 200

विरुद्ध

आदेश का दिनांक आदेश क्रमांक सहित	आदेश हस्ताक्षर सहित -2-	कार्यालयीन मामलों में डिप्टी रजिस्ट्रार के अन्तिम आदेश
	still remains, the petitioners may avail the remedy available under the law. With the aforesaid observation, this petition stands disposed off. In view of above, I.A.No.1, and I.A.No.2 stand disposed off Certified copy as per rules.	Sd/- Manindra M. Shrivastava V. Judge

Sumita

